



उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

'विद्युत नियामक भवन' निकट आई.एस.बी.टी., पो.०३०—माजरा, देहरादून—२४८१७१
PH. ०१३५-२६४१११५ FAX- २६४१३१४ Website www.uerc.gov.in E-mail- secy.uerc@gov.in

सार्वजनिक सूचना

आयोग के संज्ञान में आया है कि राज्य की विद्युत वितरण अनुज्ञापी कम्पनी—उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिऋ (UPCL) के अधिकाँश फील्ड कार्मिकों द्वारा नये एल०टी० विद्युत संयोजनों को निर्गत करते समय उपभोक्ताओं पर दबाव बनाकर 'केबल' मंगवायी जाती है, जो कि आयोग द्वारा जारी उविनिआ (नये एल०टी० संयोजनों का जारी करना, भार में वृद्धि एवं कमी) विनियम, 2013 में निहित प्रावधानों के पूर्णतः विरुद्ध है।

उपरोक्त विनियमों में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अनुरूप, उपभोक्ता द्वारा आवश्यक धनराशि जमा किये जाने के उपरान्त, नये एल०टी० संयोजन को जोड़ने हेतु आवश्यक सामग्री यथा केबल, मीटर, अथवा विविध सामग्री की उपलब्धता का सम्पूर्ण दायित्व UPCL का है।

वि०सं०-१२/२०१८-१९

सचिव

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत उपभोक्ता हित में प्रकाशित